तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हरलाल प्र. केदारा 96/दावा/23 188 R.T. Act	
17/2/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। वास्ते साविक कार्यवाही, पत्रावली दिनांक ...28-4-25........ को पत्रावली पेश हो।	
28/4/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/4/2025 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमियां प्रार्थी व अन्य की सहखातेदारी मे दर्ज है, जिसका उनके मध्य आपसी सहमति से बंटवारा होकर अपने-2 हिस्सेनुसार काश्त कर रहे है। उक्त भूमियों मे से प्रार्थी के हिस्से मे ख. नं. 627, 628 आई है, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती ताकत के बल पर रास्ता निकालने पर आमादा है व अनु. जाति के होने के कारण प्रार्थी को झूठे मुकदमें मे फसाने की धमकिया देकर जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर प्रयासरत है, उनकी विरुद्ध पूर्व मे जारी T.I. का ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। वकील प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यों के खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की भूमि ख. स. 627, 628 की मेड़ पर होकर पुरातन रास्ता पगडंडीनुमा बना हुआ है जिस पे होकर अप्रार्थीगण पैदल अपनी भूमियों पर आते	

उपखण्ड अधिकारी
छिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाते है। जानवर व वाहन लाने को अन्य रास्ता है, जो लम्बा है। उक्त बने रास्ते का हमे सुखाधिकार प्राप्त है। इनके द्वारा पुरातन रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। हमने काउन्टर प्रा०पत्र भी पेश किया है। जिसे स्वीकार कर कदीमी रास्ते से आने जाने मे अप्रार्थीगण को नही रोकने व रास्ते को अवरुद्ध नही करने हेतु प्रार्थी को पाबन्द किया जावे व पूर्व मे जारी T.I. को खारिज किया जावे। हमने दस्तावेजात पेश किये है, जिनमे मौके पर कदीमी रस्ते बना होना अंकित है। हमने वकील पक्षकारान की बहस सुन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि प्रार्थी व अन्य की खातेदारी मे दर्ज है। जिस पर अपने जवाब मे अप्रार्थीगण ने कदीमी रास्ता होने से अपना सुखाधिकार होना अंकित किया है। सुखाधिकार के आधार पर रास्त चालु रखना/बहाल रखने को सुना जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। अप्रार्थीगण द्वारा यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता की घोषणा चाहता है, तो पृथक से धारा 251(क) R.T. Act मे प्रा०पत्र इस न्यायालय मे पेश कर राहत प्राप्त कर सकते है। प्रकरण मे उपरोक्त विवेचन उपरान्त विवादित भूमिया प्रार्थी की खातेदारी मे राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित होने से प्रथमदृष्टया	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। विवादित भूमियो मे से पारिवारिक बटवारे अनुसार प्रार्थी ख०स० 627, 628 पर काश्त करने व भूमि का उपयोग उपभोग करने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे बनता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख०स० 627, 628 मे से रास्ता निकालने / कब्जे काश्त मे अवरोध अप्रार्थीगण द्वारा उत्पन्न करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे होने एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी होने से प्रकरण मे न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक - 18/09/2023 को तافैसला वाद "कन्फर्म" (confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	